कार्यालय – जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी।

14/3/2019

पत्रांकः 1641 /नि0अ0/ई–टेण्डर/जि0पं0/2018–19 दिनांकः 14 मार्च, 2019

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, लखीमपुर–खीरी महोदय के आपात निर्देश के कम में जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत निम्न कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र बेबसाइट **http//etender.up.nic.in** से दिनांक : 18.03.2019 अपरान्ह 01.00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते है। ऑनलाइन निविदा दिनॉक : 25.03.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक डाली जा सकती है, जो उसी दिन दिनांकः 25.03.2019 को अपरान्ह 03.00 बजे से निविदा समिति के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेगी।

कम सं0	विकास खण्ड	कार्य का नाम	कुल अनुमानित लागत	जी0एस0टी0 रहित धनराशि रू0 में	धरोहर राशि (रू0 में)	टेण्डर मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखीमपुर	वाई0बी0सिंह ऑवला बाग से नगर पालिका रोड तक लेपन मार्ग का उच्चीकरण एवं मरम्मत कार्य।	3526700	3148764	62976	1120	डेढ माह

शर्ते एवं जानकारी :–

1. निविदा प्रपत्र शुल्क जी0एस0टी0 सहित (कालम 7 में देखें) हेतु "बैक ड्राफ्ट" जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखीमपुर–खीरी को देय होगा तथा बयाने की धनराशि (कालम 6 देखें) हेतु राष्ट्रीय बचत पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी के पदनाम से बंधक होगी, निविदा के साथ सॅलग्न करनी होगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ ठेकेदारों को पंजीयन प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशनएवं पैन कार्ड की छायाप्रति तथा डी0डी0, एफ0डी0आर0 की मूल प्रति संलग्न करनी होगी।
3. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता द्वारा रू0 100 के स्टाम्प पेपर परं शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये जाने विषयक भूतत्व एवं खनिज कर्म अनुभाग के शासनादेश संख्या : 594/77–5–2001/200/77 टी सी–1, दिनांकः 02.02.2001 तथा शासनादेश संख्या : 3385/86–2015– 292/2015 दिनांक : 15.10.2015 का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि वह ठेकेदार सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया कार्य का ठेका नोटिस जारी कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. अन्य जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में की जा सकती है।

14/3/2019

(अरविन्द कुमार राय)
अभियन्ता,
जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी

पृ0सं0 1641(7) /ईटेण्डर/जि0पं0/2018–19 तद्दिनांक को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी।
2. शासनादेश संख्या 670/33–2–17–56 जी/17 दिनॉक 19 अप्रैल, 2017 के कम में जिला अधिकारी महोदय लखीमपुर–खीरी।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय, खीरी।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, खीरी।
5. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), खीरी।
6. तहसीलदार, सदर, लखीमपुर जनपद–खीरी।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, खीरी को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा सूचना को जनपद की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, खीरी को इस आशय से प्रेषित की उक्त तिथि को टेण्डर खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
9. नाजिर, जिला पंचायत/कलेक्ट्रेट/विकास भवन, खीरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी